

# न्यायालय सहायक कलक्टर लालसोट, दौसा

पीठासीन अधिकारी	-	बृजेन्द्र मीना (आरएएस)
	-	सहायक कलक्टर, लालसोट
मुकदमा नम्बर	-	138/2013, 2013/00214
पूर्व नम्बर	-	210/1994
दर्ज दिनांक :-	-	02. 08. 2013

1. भौरी बेवा धन्ना (फौत)

कल्याणी बेवा गोविन्दराम जाति मीना निवासी ग्राम चिमनपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा राजस्थान

- वादिनी

बनाम्

- नरसी पुत्र गोपाल (फौत)  
1/1 फूलचन्द पुत्र नरसी मीना
- हरिनारायण पुत्र गोपाल (फौत)  
2/1 कल्ली बेवा हरिनारायण  
2/2 ज्ञाना पिता हरिनारायण  
2/3 जगदीश पिता हरिनारायण
- बदरी पुत्र गोपाल
- रूपा पुत्र जगराम
- जगन्नाथ पुत्र जगराम
- रामसहाय पुत्र जगराम
- बिरदा पुत्र किशना (फौत)  
7/1 रामफूल पुत्र बिरदा  
7/2 रतनलाल पुत्र बिरदा  
7/3 कल्याणी बेवा बिरदा
- कजोडया पिता हट्टया
- रेवडया पिता हट्टया
- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लालसोट जिला-दौसा राजस्थान

समस्त जाति मीना निवासी ग्राम चिमनपुरा तहसील लालसोट जिला-दौसा राज

- प्रतिवादीगण

उपस्थित :- श्री इशितयाक मोहम्मद  
श्री प्रेमस्वरूप लामडा


- अधिवक्ता वादी  
- अधिवक्ता प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक 28.07.2023

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादिनी भौरी बेवा धन्ना जाति मीना निवासी चिमनपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध प्रतिवादीगण निम्नानुसार चिमना का सजरा दर्शाते हुए



इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 01 रकबा 04 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 03 रकबा 50 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 04 रकबा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 05 रकबा 26 बीघा 18 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 82 बीघा 18 बिस्वा वाकें ग्राम पटटी चिमनपुरा तहसील लालसोट स्थित है जिसमें प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 3 का 1/4 हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 4 लगायत 6 का 1/4 हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 7 का 1/4 व 8 लगायत 9 का 1/4 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। पूर्व में उक्त भूमि में प्रतिवादी 1 लगायत 3 के पिता गोपाल का 1/4 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में अंकित था तथा गोपाल के पूर्व उक्त भूमि उसके पिता चिमना की खातेदारी में दर्ज थी।

वादिनी का कहना है कि उक्त सजरे के अनुसार ही चिमना के तीन पुत्र भौरया, धन्ना व गोपाल थे। चिमना की मृत्यु के पूर्व ही भौरया व धन्ना की मृत्यु हो चुकी थी। इस तहर से चिमना की मृत्यु के पश्चात् उक्त भूमि में उसके हिस्से पर भौरया की बेवा व धन्ना की बेवा वादिनी भौरी एवं गोपाल अपने अपने हिस्से 1/3-1/3 पर काबिज रह कर काश्त करते थे। भौरया की बेवा एवं गोपाल की भी मृत्यु हो चुकी है। इस तरह से चिमना की हिस्से की भूमि

पर वादीनी भौरी एवं प्रतिवादी न0 1 लगायत 3 काबिज रहकर काश्त कर रहे हैं तथा वर्तमान में वादीनी ने अपने हिस्से की भूमि पर बाजरा आदि फसल काश्त की है।

आगे वादीनी के कथन है कि चिमना की मृत्यु के पूर्व उसके पुत्र भौरया व धन्ना की मृत्यु की हो चुकी है इसका प्रतिवादी न0 1 लगायत 3 के पिता गोपाल ने फायदा उठाकर अपने अकेले के नाम ही चिमना की विरासत का नामान्तरकरण करवा कर तरदीक करवा लिया तथा गुप्त्युप तरीके से अपना नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवा लिया जबकि चिमना की मृत्यु के पश्चात् उसके हिस्से पर वादीनी व गोपाल संयुक्त रूप से काबिज रहकर काश्त करते थे तथा अपने हिस्से अनुसार लगान भी अदा कराते रहे हैं। इस तरह प्रतिवादी 1 लगायत 3 के पिता गोपाल ने चिमना की मृत्यु के पश्चात् स्वयं के हक में नामान्तरकरण खुलवा कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करा लिया जो बमुकाबले वादीनी कलेदम बेअसर है तथा वादीनी गोपाल के हिस्से की भूमि पर अपने 1/2 हिस्से की अधिघोषणा अपने हक में कराने की अधिकारी है।

वादीनी के आगे अभिवचन है कि दिनांक 19.07.1994 को वादीया अपने हिस्से की भूमि की मौजूद रहकर अपनी फसल की रखवाली कर रही थी कि अचानक प्रतिवादी 1 लगायत 3 आये और कहा कि तुम अब उक्त भूमि के तुम्हारे हिस्से की भूमि छोड़ दो तुम्हारा इस भूमि से कोई लेना-देना नहीं है ना ही तुम्हारे नाम कोई भूमि है यदि तुमने इस भूमि पर से अपना कब्जा नहीं हटाया तो हम तुम्हारे कब्जे काश्त में दखलांदाजी कर तुम्हे लाठी के बल जबरन बेदखल कर देगे। इसी बिनाय दावा दायर कर अनुतोष यांचित किया है कि आराजी में से गोपाल के हिस्से की भूमि में वादीनी का हिस्सा 1/2 है लेकिन गैर कानूनी रूप से प्रतिवादी 1 लगायत 3 के पिता गोपाल ने गलत तरीके से उक्त भूमि का अपने अकेले के हक में नामान्तरकरण करवा कर राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवा लिया जो बमुकाबले वादीनी कलेदम बेअसर है अतः आराजी खसरा नम्बर 01 रकबा 04 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 03 रकबा 50 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 04 रकबा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 05 रकबा 26 बीघा 18 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 82 बीघा 18 बिस्वा स्थित वाकै ग्राम पटटी चिमनपुरा तहसील लालसोट में प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 3 के हिस्सा 1/4 में से वादीनी 1/2 हिस्से की हकदार होने के कारण उक्त हिस्सा 1/2 की खातेदारी की वादीनी के नाम उदघोषणा की जावे। साथ ही प्रतिवादीगण को वादीनी के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की दखल-अंदाजी करने से स्थायी रूप से पाबंद किया जावे।

वादीनी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 की ओर से वकील श्री प्रेम स्वरूप लामडा हाजिर आये तथा वकालतनामा व जवाब दावा पेश किया गया। शेष प्रतिवादीगण के बावजूद सूचना के हाजिर नही आने पर उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 ने वादी के वादपत्र के कथनों का खण्डन करते हुए अपने जवाब के चरण संख्या 2 मे प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के पिता गोपाल का 1/4 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड मे होना स्वीकार किया है तथा बाकि कथनो को कपोल कल्पित एवं मनगढंत बताया है। प्रतिवादीगण का कहना है कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के हिस्से की आराजीयात पर वादीनी या अन्य किसी भी व्यक्ति ने आज तक किसी भी प्रकार की कोई काश्त नही की है। एवं नही ही कोई लगान सरकारी

भी जमा करवाया है। प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 ही अपने हिस्से की समस्त कृषि भूमि पर काश्त करते चले आ रहे हैं एवम् लगान भी जमा कराते आ रहे हैं। प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 कृषि भूमि पर कभी किसी का कब्जा नहीं रहा है इसलिए बिनाय दावा व बिनाय मुख्यास्मत पैदा होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है।

आगे प्रतिवादीगण का कहना है कि उक्त वादग्रस्त आराजीयात प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 को विरासत से प्राप्त हुई है। इस प्रकार गोपाल की कृषि भूमि में वादीनी का किसी भी प्रकार का कोई हिस्सा नहीं है। एवम् विवादित भूमि वर्तमान में प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है वादीनी को कोई कब्जा या अधिकार नहीं है। प्रतिवादीगण ने अपने जवाब में यह भी उज्र किया है कि वादपत्र में वर्णित कृषि भूमि में वादीनी का आज तक किसी भी प्रकार का कोई ताल्लुक या वास्ता कतई भी नहीं रहा है वादपत्र के चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि के सह-खातेदार प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के अलावा अन्य भी हैं जिनका वादपत्र में खुलासा नहीं किया गया है। इसलिए वादपत्र वादीनी काबिले खारिज है। वादपत्र के चरण न 6 में वर्णित कृषि भूमि आ0 ख0न0 325 के सह-खातेदारों के हिस्से का भी खुलासा नहीं किया है। प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 से पूर्व आराजी वादग्रस्त पर तनहा उनके पिता का कब्जा था व खातेदारी थी। उनकी मृत्यु के बाद प्रतिवादी 1 लगायत 3 वादग्रस्त आराजी के विरासतन खातेदार हो गये। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 ने अपने जवाब में वादपत्र के कथनों को कपोल कल्पित एवं मनगढ़ंत बताते हुए वाद वादीनी खारिज करने की इस्तदुआ की है।

जवाब वादपत्र की नकल अधिवक्ता वादी को दिलवाई जाकर जवाब शामिल मिसल किया गया तथा प्रकरण तनकीयात हेतु नियत किया गया। पत्रावली में निम्न कुल 5 तनकी बनाई जाकर कायम की गई।

1. आया आराजी ख0न0 1 (एक) रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा, ख0न0 3 रकबा 50 बीघा 14 बिस्वा, ख0न0 4 रकबा 18 बिस्वा, ख0न0 5 रकबा 26 बीघा 18 बिस्वा भूमि वाकें ग्राम पट्टी चिमनपुरा तहसील लालसोट स्थित में वादीनी का 1/4 हिस्से में से 1/2 हिस्से का खातेदार है।
2. आया चिमना के तीन लडके भौरया, धन्ना, गोपाल थे। जो चिमना के मरने से पहले ही भौरया, धन्ना की मृत्यु हो गई थी। चिमना के मरने के बाद चिमना की विरासत का नामान्तरकरण अकेले गोपाल ने खुलवाया।
3. आया दिनांक 19.07.1994 को वादीनी फसल की रखवाली कर रही थी। प्रतिवादी न0 1 लगायत 3 ने उक्त भूमि में आकर दखलांदाजी कर बेदखल करने की धमकी देने के कारण वाद कारण उत्पन्न हुआ।

4. आया कि वादीनी ने सजरा गलत बताया है। इस कारण वाद खारिज किये जाने योग्य है।

5. आया कि उक्त ख0न0 का प्रतिवादी सं0 1 लगायत 3 के पिता गोपाल पूर्व से तथा गोपाल की मृत्यु के बाद प्रतिवादीगण 1 लगायत रिकॉर्डेड खातेदार है।

तनकी संख्या 1,2,3 को साबित करने का भार वादीनी पर तथा शेष 4,5 को साबित करने का भार प्रतिवादी पर रखा गया। तत्पश्चात् पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

वादीनी की ओर से साक्ष्य के रूप में शपथ-पत्र कल्याणी बेवा गोविन्दराम जाति मीना निवासी चिमनपुरा तहसील लालसोट एव गवाह गोविन्दा पुत्र लोहडीराम जाति मीना उम्र 80 वर्ष निवासी अजबपुरा तहसील लालसोट के शपथ-पत्र पेश किये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबन्दी सम्वत् 2048-51 पदर्श-1, जमाबन्दी भूमि एकीकरण सम्वत् 2021 पदर्श-2 पेश किये। तदुपरान्त पत्रावली वास्ते जिरह साक्ष्यवादी नियत की गई। वादीनी कल्याणी बेवा गोविन्दराम से वकील प्रतिवादी द्वारा जिरह की गई। शेष जिरह नहीं करने पर जिरह बन्द की जाकर पत्रावली साक्ष्य प्रतिवादी नियत की गई। प्रतिवादी 1 लगायत 3 की ओर से साक्ष्य प्रतिवादी के रूप में गवाहों के शपथ-पत्र पेश किये गये। प्रतिवादी पक्ष की ओर से ज्ञाना पुत्र हरिनारायण उम्र 33 वर्ष निवासी चिमनपुरा तहसील लालसोट जाति मीना, बदरी पुत्र गोपाल जाति मीना उम्र 50 वर्ष, हजारी पुत्र मागीराम उम्र 52 वर्ष, राजू पुत्र श्री श्योबक्स उम्र 70 वर्ष जाति मीना, गोरया पुत्र पून्या उम्र 45 वर्ष जाति मीना, कजोड पुत्र हटटया उम्र 55 वर्ष जाति मीना, भौरीलाल पुत्र रामस्वरूप उम्र 50 वर्ष जाति मीना, लल्लू पुत्र सुखजी उम्र 48 वर्ष जाति मीना, नरसी पिता गोपाल जाति मीना निवासी समस्त चिमनपुरा तहसील लालसोट जिला-दौसा द्वारा शपथ-पत्र पेश किये गये, जो शामिल मिसल किये गये। अधिवक्ता वादी ने सूची के अतिरिक्त बयानात प्रस्तुत करने पर ऐजराज जताया। दस्तोवजी साक्ष्य के रूप में प्रतिपक्ष की ओर से कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये। तदुपरान्त पत्रावली जिरह साक्ष्य प्रतिवादी में नियत की गई प्रतिपक्ष की जिरह हेतु वादी अधिवक्ता को अनेक अवसर दिये गये किन्तु जिरह नहीं की गई। और दिनांक 12.03.2020 को जिरह साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। दिनांक 12.02.2020 से पत्रावली बहस में चली आ रही थी। प्रतिवादी अधिवक्ता ने बार-बार एडजर्न चाहा। दिनांक 28.03.2022 को वकील वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 नरसी के कायम मुकाम पेश किये गये जो स्वीकार किये जाकर संशोधित उनवान शामिल मिसल किया गया। दिनांक 08.07.2022 को प्रतिवादी संख्या 1/1 की की अंडर टेकिंग वकील श्री दीनदयाल शर्मा ने दी किन्तु वकालतनामा पेश नहीं किया गया। फिर दिनांक 24.08.2022 को प्रतिवादी 1/1 की अंडर टेकिंग वकील श्री पी.एस. लामडा ने किन्तु वकालतनामा पेश नहीं किया गया। वकालतनामा पेश नहीं करने पर दिनांक 16.09.2022 को प्रतिवादी संख्या 1/1 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई तथा पत्रावली बहस हेतु नितय की गई। पत्रावली काफी समय से वास्ते बहस नियत चली आ रही है। तथा विचाराधीन प्रकरण सन् 1994 से दर्ज होकर जेरकार है। काफी अवसर देने के बाद भी प्रतिवादीगण अथवा उनके अधिवक्ता बहस हेतु

उपस्थित नहीं रहे हैं। दिनांक 10.07.2023 को प्रतिवादी संख्या 3, 8 व प्रतिवादी 2 के वारिसान् के उपस्थित नहीं होने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील वादी को सुना गया। वादीनी की ओर से अपने वाद के समर्थन में जरिये अधिवक्ता लिखित बहस पेश की गई।

अधिवक्ता वादीनी ने अपनी लिखित बहस में वाद के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क पेश किये हैं कि आराजी खसरा नम्बर 01 रकबा 04 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 03 रकबा 50 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 04 रकबा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 05 रकबा 26 बीघा 18 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 82 बीघा 18 बिस्वा वाकैँ ग्राम पट्टी चिमनपुरा तहसील लालसोट स्थित है जिसमें प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 3 का 1/4 हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 4 लगायत 6 का 1/4 हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 7 का 1/4 व 8 लगायत 9 का 1/4 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। पूर्व में उक्त भूमि में प्रतिवादी 1 लगायत 3 के पिता गोपाल का 1/4 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में अंकित था तथा गोपाल के पूर्व उक्त भूमि उसके पिता चिमना की खातेदारी में दर्ज थी।

वादिनी का कहना है कि उक्त सजरे के अनुसार ही चिमना के तीन पुत्र भौरया, धन्ना व गोपाल थे। चिमना की मृत्यु के पूर्व ही भौरया व धन्ना की मृत्यु हो चुकी थी। इस तरह से चिमना की मृत्यु के पश्चात् उक्त भूमि में उसके हिस्से पर भौरया की बेवा व धन्ना की बेवा वादिनी भौरी एवं गोपाल अपने अपने हिस्से 1/3-1/3 पर काबिज रह कर काश्त करते थे। भौरया की बेवा एवं गोपाल की भी मृत्यु हो चुकी है। इस तरह से चिमना की हिस्से की भूमि पर वादीनी भौरी एवं प्रतिवादी न0 1 लगायत 3 काबिज रहकर काश्त करते रहे हैं। आगे वादिनी के कथन है कि चिमना की मृत्यु के पूर्व उसके पुत्र भौरया व धन्ना की मृत्यु हो चुकी है इसका प्रतिवादी न0 1 लगायत 3 के पिता गोपाल ने फायदा उठाकर अपने अकेले के नाम ही चिमना की विरासत का नामान्तरकरण करवा कर तस्दीक करवा लिया तथा गुपचुप तरीके से अपना नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवा लिया जबकि चिमना की मृत्यु के पश्चात् उसके हिस्से पर वादिनी व गोपाल संयुक्त रूप से काबिज रहकर काश्त करते थे। इस तरह प्रतिवादी 1 लगायत 3 के पिता गोपाल ने चिमना की मृत्यु के पश्चात् स्वयं के हक में नामान्तरकरण खुलवा कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करा लिया जो बमुकाबले वादीनी कलेदम बेअसर है तथा वादीनी गोपाल के हिस्से की भूमि पर अपने 1/2 हिस्से की अधिघोषणा अपने हक में कराने की अधिकारी है।

वादपत्र में अंकित सजरे की ओर ध्यान आकर्षित कराते हुए अपनी लिखित बहस में वादीनी ने आगे तर्क पेश किये हैं कि पूर्व में उक्त आराजी भूमि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के पिता गोपाल के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित थी। तथा गोपाल से पहले उनके पिता चिमना की खातेदारी में दर्ज थी। चिमना के तीन पुत्र भौरया, धन्ना, गोपाल थे। चिमना की मृत्यु से पूर्व ही भौरया व धन्ना की मृत्यु हो चुकी थी। चिमना की मृत्यु के पश्चात् उक्त भूमि में चिमना के हिस्से पर भौरया की बेवा व धन्ना की बेवा भौरी देवी(वादीनी) एवं गोपाल अपने अपने हिस्से 1/3,1/3 पर काबिज रहकर काश्त करते थे। भौरया की बेवा व गोपाल की भी मृत्यु हो चुकी है। इस प्रकार चिमना के हिस्से की भूमि पर वादीनी भौरी देवी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का ही हक रहा है तथा दौनो ही काबिज रहकर काश्त करते आ रहे हैं। चिमना की मृत्यु से

पूर्व उसके पुत्र भौरया व धन्ना की मृत्यु हो चुकी थी जिसकी वजह से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के पिता गोपाल ने फायदा उठाकर अपने अकेले के नाम ही चिमना की विरासत का नामान्तरकरण खुलवा कर तरदीक करा लिया तथा राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम इन्द्राज करवा लिया। जबकि चिमना की मृत्यु के पश्चात् उसके हिस्से पर वादीनी व गोपाल संयुक्त रूप से काबिज रहकर काश्त करते थे। वादीनी भौरी देवी की मृत्यु के बाद उसकी वारिस पुत्री वादीनी कल्याणी मृतक गोपाल के हिस्से की भूमि पर अपने हिस्से 1/2 भूमि की उद्घोषणा अपने हक में कराने की कानूनन हकदार है। विचाराधीन प्रकरण में वादीनी ने साक्ष्य के रूप में गवाह व दस्तावेजात् पेश कर दावे को न्यायालय के समक्ष साबित कर दिया। जबकि प्रतिवादीगण की ओर से कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं किये गये हैं। इस तरह वादीनी ने न्यायालय के समक्ष अपने दावे को न्यायालय हाजा द्वारा कायम की गई सभी तनकीयात् को वादीनी ने अपने गवाह व दस्तोवजो से साबित किया है। वादीनी मृतक गोपाल के हिस्से में आई भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के नाम दर्ज है उस भूमि में से वादीनी 1/2 हिस्से की हकदार है। इस प्रकार लिखित बहस पेश कर निवेदन किया है कि मृतक गोपाल के हिस्से में आई समस्त भूमि जो गोपाल के वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के नाम दर्ज है, में से वादीनी कल्याणी देवी को 1/2 हिस्से की खातेदारी की उद्घोषणा की जावे तथा प्रतिवादीगण को वादीनी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी एवं बेदखल करने हेतु पाबन्द किया जावे।

हमने पत्रावली व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात् का गहनता से अध्ययन, परिक्षण किया। विद्वान अधिवक्ता वादी की लिखित बहस के कथनों का प्रतिवादी की अनुपस्थिति के कारण खण्डन नहीं हुआ है। पत्रावली के अधोपान्त अध्ययन एवं परिक्षणोपरान्त यह तथ्य सामने आये हैं कि वादीनी भौरी देवी बेवा धन्ना निवासी ग्राम चिमनपुरा तहसील लालसोट द्वारा वादपत्र एवं लिखित बहस में वर्णित आराजीयात् को विवादग्रस्त बताकर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के हिस्से की भूमि में से 1/2 हिस्से की खातेदारी उद्घोषणा चाही है। वादीनी ने क्लेम किया है कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के पिता गोपाल के नाम दर्ज भूमि उसके पिता व वादीनी के ससूर चिमना की खातेदारी की भूमि थी, जो गलत रूप से अकेले गोपाल के नाम लगा दी गई है जबकि उक्त भूमि में वादीनी का भी बराबर का हक अधिकार निहित है। वादीनी ने चिमना मीना निवासी चिमनपुरा तहसील लालसोट के तीन पुत्र भौरया, धन्ना, गोपाल होना बताया है तथा चिमना की मौजूदगी में भौरया (ना0 औलाद) तथा धन्ना फौत होना जाहिर किया है। इस प्रकार वादीनी का वाद विरचित तनकीयात् का वादपत्र के समर्थन में वादीनी एवं बचाव में प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाब दस्तावेजों, गवाहों तथा सबूतों के आधार पर निम्नानुसार निर्धारण किया जाता है।

**तनकी नं0 2 :-** आया चिमना के तीन लडके भौरया, धन्ना, गोपाल थे। जो चिमना के मरने से पहले ही भौरया, धन्ना की मृत्यु हो गई थी। चिमना के मरने के बाद चिमना की विरासत का नामान्तरकरण अकेले गोपाल ने खुलवाया।

सहायक कलेक्टर  
लालसोट जिला-देसा (राज0)

उक्त तनकी को साबित करने का भार वादीनी पर है। जिसके विनिश्चय हेतु वादीनी के वादपत्र, गवाहों के बयानात् एवम् वादीनी द्वारा प्रस्तुत दस्तोवजात का गहनता से परिक्षण किया गया। गवाह गोविन्दा पुत्र लोहडीराम जाति मीना, उम्र 80 वर्ष निवासी अजबपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा की द्वारा वाद पत्र के समर्थन में अपना शपथ पत्र पेश किया है कि आराजी खसरा नम्बर 01 रकबा 04 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 02 रकबा 50 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 04 रकबा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 05 रकबा 26 बीघा 18 बिस्वा भूमि ग्राम चिमनपुरा तहसील लालसोट में स्थित है जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3, 4 लगायत 6, प्रतिवादी सं० 7, तथा 8-9 का हिस्सा  $1/4$ ,  $1/4$  है। तथा पूर्व में यह भूमि चिमना के नाम थी जिसमें चिमना का हिस्सा  $1/4$  था तथा हिस्सा  $1/4$  पर ही काबिज था। चिमना के तीन लडके भौरया, धन्ना व गोपाल थे। चिमना की मृत्यु के पहले ही भौरया व धन्ना की मृत्यु हो गई तथा भौरया की बेवा भी फौत हो गई थी। भौरया के कोई वारिस नहीं है। चिमना की मृत्यु के बाद चिमना के हिस्से की भूमि  $1/4$  पर वादीनी की माता भौरी व गोपाल काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं। भौरी की मृत्यु हो चुकी है। भौरी की एकमात्र वारिस वादीनी कल्याणी है। तथा गोपाल की भी मृत्यु हो चुकी है। उसके वारिस प्रतिवादी संख्या 1 लगात 3 है। वर्तमान में भी चिमना के हिस्से  $1/4$  की कृषि भूमि में से  $1/2$  हिस्से की भूमि पर वादीनी कल्याणी काबिज है तथा शेष  $1/2$  हिस्से की भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 काबिज है। गवाह ने अपने बयान में यह भी कहा है कि वो चिमना तथा उनके तीनों बेटे एवं मृतक बेटे की बेवा को जानता है। चिमना की भूमि में से  $1/2$  हिस्से की भूमि कल्याणी को मिलनी चाहिए। बयानकर्ता से वकील प्रतिवादी द्वारा जिरह नहीं की गई है जिस कारण गवाह के कथनों का खण्डन नहीं हुआ है। पत्रावली में उपलब्ध भौरी पत्नी धन्ना के पहचान पत्र से भौरी की पहचान होती है जो ग्राम चिमनपुरा की निवासी है। यह पहचान पत्र सन् 1995 का बना हुआ है। वकील वादी के कथन इस कथन से हंम संतुष्ट है कि धन्ना बहुत कम अवस्था में ही अपने पिता चिमना के रहते फौत हो गया था इस कारण धन्ना के ओर कोई सरकारी कागजात नहीं बन सके है। किन्तु भौरी देवी के कागजात से बात एकदम स्पष्ट है कि वह धन्ना जाति मीना निवासी चिमनपुरा तहसील लालसोट की बेवा है। दूसरी ओर गवाह ने भी अपने बयानों में इस बात का समर्थन किया है कि चिमना के तीन लडके थे जिनमें से एक भौरया ना०ओ० फौत हो गया तथा धन्ना भी अपने पिता के जीवनकाल में ही फौत हो गया था। इन तथ्यों का प्रतिवादीगण द्वारा जिरह में खण्डन किया जाना चाहिए था किन्तु ऐसा नहीं करना बयानात् के कथनों की पुष्टि करता है। साथ ही प्रतिवादी द्वारा अपने जवाब में वादीनी द्वारा बताये गये सजरे को गलत जरूर बताया है किन्तु प्रतिवादीगण की ओर से पेश किये एक भी गवाह ने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि सजरा जो वादीनी की ओर से पेश किया गया है, गलत है। गवाह हजारी पुत्र मांगीराम उम्र 52 वर्ष जाति गुर्जर, राजू पुत्र श्योबक्स उम्र 70 वर्ष जाति मीना, गोरया पुत्र पून्या उम्र 45 वर्ष जाति मीना, कजोड पुत्र हटया उम्र 55 वर्ष जाति मीणा, भौरीलाल पुत्र श्रीरामस्वरूप उम्र 50 वर्ष जाति मीना, लल्लू पुत्र सुखजी उम्र 48 वर्ष जाति मीणा निवासी चिमनपुरा तहसील लालसोट द्वारा अपने शपथ पत्र में यह कहा है कि वे बदरी, नरसी व हरिनारायण की कब्जे काश्त खातेदारी की कृषि भूमि जो ग्राम चिमनपुरा व पट्टी चिमनपुरा में स्थित है, को जानते हैं। उक्त भूमि को सदैव से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 व उनसे पूर्व उनके पिता गोपाल ही काश्त करते रहे हैं। भौरी को उक्त भूमि पर काश्त करते नहीं देखा है।

सहायक कलेक्टर  
लालसोट जिला-दौसा (राज०)

ना ही भौरी का उक्त भूमि से कोई ताल्लुक है। चिमना के केवल एक ही वारिस गोपाल ही था एवम् वही रिकॉर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार था। जमाबंदी जो प्रदर्श-1 में सम्वत् 2048 से 2051 के अनुसार खसरा नम्बर 1 रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा, ख0न0 3 रकबा 50 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 4 रकबा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 5 रकबा 26 बीघा 18 बिस्वा भूमि वाकै ग्राम पट्टी चिमनपुरा तहसील लालसोट में रामसाहाय, रूपा, जगन्नाथ पिता जगराम हिस्सा 1/4 बिरदा पुत्र किशना हिस्सा 1/4 गोपाल पुत्र चमना हिस्सा 1/4, कजोडया, रेवडया पिता हट्टया हिस्सा 1/4 के दर्ज खातेदार है तथा नामान्तरकरण संख्या 69 दिनांक 22.04.1994 के अनुसार गोपाल पुत्र चमना की बजाय नरसी, हरीनारायण, बदरी पिता गोपाल मीना के नाम विरासत का नामान्तरकरण हुआ है। यहां यह तथ्य स्पष्ट हो गया है कि विवादग्रस्त आराजीयात् गोपाल की खातेदारी में दर्ज रही है तथा गोपाल से पूर्व यह भूमि उनके पिता चिमना की खातेदारी की भूमि रही है। चूँकि प्रतिवादीगण ने कही भी अपने बयानात् में यह नहीं बताया है कि यह भूमि उनकी स्व-अर्जित भूमि है। प्रतिवादीगण के गवाहान् ने भी ये ही कहा है कि चिमना के एकमात्र वारिस गोपाल होने के कारण चिमना की भूमि का एकमात्र खातेदार गोपाल ही है। इस प्रकार वादीनी का कथन की विवादग्रस्त भूमि चिमना की खातेदारी की भूमि है, स्पष्ट प्रतीत होता है। वादीनी एवं प्रतिवादीगण के गवाह भी इस बात को मान रहे हैं कि चिमना का एकमात्र वारिस गोपाल ही था और इस बात को खुद प्रतिवादीगण भी कह रहे हैं। फलस्वरूप यहां यह निष्कर्ष सामने आता है कि चिमना की विरासत अकेले गोपाल को ही मिली है तथा चिमना के दूसरा पुत्र धन्ना की बेवा भौरी थी।

**तनकी संख्या 3 :-** आया दिनांक 19.07.1994 को वादीनी फसल की रखवाली कर रही थी। प्रतिवादी न0 1 लगायत 3 ने उक्त भूमि में आकर दखलांदाजी कर बेदखल करने की धमकी देने के कारण वाद कारण उत्पन्न हुआ।

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार भी वादीनी पर रहा है। वादीनी ने अपने स्वयं के बयान में अपने व अपनी माँ भौरी देवी के अधिकार व कब्जे की बात कही है। हालांकि प्रतिवादी एवं प्रतिवादीगण के गवाह इस तथ्य से इन्कार करते हैं कि वादीनी का कब्जा रहा है। किन्तु वे इस बात से इन्कार नहीं कर रहे कि भौरी देवी धन्ना की बेवा थी तथा धन्ना चिमना का वारिस नहीं था। अपने जवाब में प्रतिवादीगण ने वादीनी द्वारा प्रस्तुत सजरे को गलत बताया है किन्तु सही सजरा क्या है इस तथ्य से न्यायालय का समाधान नहीं कर पाये है। वादीनी द्वारा प्रस्तुत एक मूल-निवास दस्तावेज के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि भौरी बेवा धन्ना जाति मीना निवासी चिमनपुरा तहसील लालसोट की रहने वाली थी। यह प्रमाण पत्र तत्कालीन सरपंच द्वारा जारी किया गया है। इससे यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी की चिमना की मृत्यु के पश्चात् उसके हिस्से पर वादीनी व गोपाल संयुक्त रूप से काबिज रहकर काश्त करते थे। वादीनी ने जैसा कि दिनांक 19.07.1994 को वादीया अपने हिस्से की भूमि की मौजूद रहकर अपनी फसल की रखवाली कर रही थी कि अचानक प्रतिवादी 1 लगायत 3 आये और कहा कि तुम अब उक्त भूमि के तुम्हारे हिस्से की भूमि छोड़ दो तुम्हारा इस भूमि से कोई लेना-देना नहीं है ना ही तुम्हारे नाम कोई भूमि है यदि तुमने इस भूमि पर से अपना कब्जा नहीं हटाया तो हम

  
सहायक कलेक्टर  
लालसोट जिला-दीसा (राजो)

तुम्हारे कब्जे काश्त में दखलांदाजी कर तुम्हें लाठी के बल जबरन बेदखल कर देगे। इसी बिनाय दावा दायर कर अनुतोष यांचित किया है कि आराजी में से गोपाल के हिस्से की भूमि में वादीनी का हिस्सा 1/2 है लेकिन गैर कानूनी रूप से प्रतिवादी 1 लगायत 3 के पिता गोपाल ने गलत तरीके से उक्त भूमि का अपने अकेले के हक में नामान्तरकरण करवा कर राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवा लिया जो बमुकाबले वादीनी कलेदम बेअसर है। चूंकि मेरी विनम्र राय में वाद हेतुक एक तथ्य ही नहीं वरन् वह उन तथ्यों का समूह है, जिनको साबित करना वादी की सफलता के लिए आवश्यक है। किसी विशेष क्षण या समय पर वादी के अधिकार का उल्लंघन मात्र ही वाद हेतुक नहीं है। इस प्रकार वाद हेतुक उत्पन्न होना वादीनी के पक्ष में साबित होता है।

**तनकी संख्या 1:-** आया आराजी ख0न0 1 (एक) रकबा 4 बीघा 8 बिरवा, ख0न0 3 रकबा 50 बीघा 14 बिस्वा, ख0न0 4 रकबा 18 बिस्वा, ख0न0 5 रकबा 26 बीघा 18 बिस्वा भूमि वाकै ग्राम पट्टी चिमनपुरा तहसील लालसोट स्थित में वादीनी का 1/4 हिस्से में से 1/2 हिस्से का खातेदार है।

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादीनी पर रहा है। वादीनी की ओर से प्रस्तुत शपथ-पत्र कल्याणी बेवा गोविन्दराम जाति मीना निवासी चिमनपुरा तहसील लालसोट एव गवाह गोविन्दा पुत्र लोहडीराम जाति मीना उम्र 80 वर्ष निवासी अजबपुरा तहसील लालसोट तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत् 2048-51 पददर्श-1, जमाबन्दी भूमि एकीकरण सम्वत् 2021 पददर्श-2 पेश किये। एवं पहचान पत्र भौरी व अन्य दस्तावेज मूल-निवास की प्रति बेवा भौरी तथा प्रतिवादीगण के जवाब व गवाहों के बयानात्, के गहन अध्ययन से निष्कर्ष निकलते हैं कि वादीनी चिमना के पुत्र धन्ना की बेवा थी। तथा चिमना की भूमि का एक मात्र वारिस गोपाल ही बना है। प्रस्तुत जमाबन्दीयों के अवलोकन एवं गवाहों के बयानों से यह तथ्य भी साबित रहे हैं कि चिमना की विरासत केवल गोपाल के हक में ही हुई है। चूंकि अपने जबाब में प्रतिवादीगण ने इस बात पर भी ऐतराज प्रकट किया है कि मीनाओं में हिन्दू उत्तराधिकारी कानून के प्रावधान लागू नहीं होता बल्कि मीना समाज में कस्टमरी के नियम ही लागू होते हैं इस कारण भौरी को विवादित भूमि में कोई अधिकार नहीं मिलते। प्रतिवादीगण का उक्त तथ्य इस ओर ध्यान आकृष्ट करता है कि भौरी ने जो वादपत्र और गवाह में चिमना की विरासत के तथ्य प्रकट किये हैं, सही हैं। अर्थात् भौरी चिमना के पुत्र धन्ना की बेवा थी। उक्त जमाबन्दीयों सम्वत्- 2048-51 के अवलोकन से यह बात बिल्कुल साबित हो रही है कि गोपाल की विरासत उनके उनके वारिसान नरसी, हरिनारायण, व बदरी को प्राप्त हुई। प्रतिवादीगण की इस बात से हम पूर्णतः सहमत हैं कि मीनाओं में हिन्दू उत्तराधिकार नियम 1956 के प्रावधान लागू नहीं होते बल्कि मीना समाज में कस्टमरी प्रावधान ही लागू होते हैं किन्तु उत्तराधिकारियों में केवल महिला के होने पर किसी मेल उत्तराधिकारी के न होने पर एकल महिला उत्तराधिकारी को ही वारिश माना जावेगा। विभिन्न न्यायालयों द्वारा सम्पादित विभिन्न न्यायिक निर्णयों में इस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है। इस स्थिति में धन्ना के बाद भौरी व भौरी के बाद उनकी एकमात्र वारिस कल्याणी को ही कानूनन उत्तराधिकारी पाया जाता है। यहां हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि चिमना की विवादित आराजीयात् में उनके सभी पुत्रों का बराबर हिस्सा

कानूनन था चाहे उनका नाम रिकॉर्ड राजस्व में इन्द्राज हुआ हो या नहीं। स्वाभाविक है कि जब उनके पुत्र पिता चिमना की मौजूदगी में ही फौत हो गये तो उनके पिता के जीते जी पुत्रों का नाम खातेदारी में इन्द्राज नहीं होता। चिमना के बाद उनके उत्तराधिकारियों में गोपाल व धन्ना की बेवा भौरी कानूनन वारिस रहे है। इस स्थिति में भौरी तथा भौरी के बाद उनकी एकमात्र पुत्री कल्याणी चिमना की खातेदारी में अपने हिस्से की उद्घोषणा करवाने की हकदार है।

**तनकी संख्या 4 :-** आया कि वादीनी ने सजरा गलत बताया है। इस कारण वाद खारिज किये जाने योग्य है।

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर रहा है। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 ने अपने जवाब में वादीनी द्वारा प्रस्तुत सजरे को गलत बताया है। इस संबध में प्रतिवादीगण की ओर से पेश गवाहों ने अपने बयानात में यह नहीं बताया कि सजरा गलत है। प्रतिवादीगण की ओर से गलत सजरे के संबध में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया ना कोई गवाह पेश किया गया है। जिसने यह बताया हो कि प्रस्तुत सजरे के स्थान पर कोई और सजरा होना चाहिए था बल्कि वादीनी भौरी देवी से की गई जिरह में भी भौरी देवी ने यह चिमना के तीन बेटे भौरया, धन्ना, बदरी होने के कथन किये है एवं वादीनी के गवाह के बयान से सजरा सही होने की पुष्टि होती है। इस प्रकार प्रतिवादीगण अपने कथनों को साबित करने में असफल रहे है। फलस्वरूप तनकी विरुद्ध प्रतिवादीगण साबित रही है।

**तनकी संख्या 5 :-** आया कि उक्त ख0न0 का प्रतिवादी सं0 1 लगायत 3 के पिता गोपाल पूर्व से तथा गोपाल की मृत्यु के बाद प्रतिवादीगण 1 लगायत रिकॉर्डेड खातेदार है।

उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर रहा है। उक्त तनकीयात् को विनिश्चत हेतु पत्रावली में उपलब्ध जमाबंदी का अवलोकन किया गया है। जमाबंदी नवीन व जमाबंदी सम्वत् 2048-51 ग्राम पट्टीचिमना के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि सम्वत् 2048-51 में गोपाल पुत्र चिमना की विरासत उनके पुत्र नरसी हरिनारायण व बदरी के स्वीकृत हुई है। एवं इस आधार पर वर्तमान में भी प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 व वारिसान खातेदार है। यह तनकी प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 के हक में साबित रही है।

उक्त विवचनों एवं तथ्यों के आधार पर यहां न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि चिमना की विरासत में मृतक भौरी भी मृतक गोपाल के बराबर हिस्से की खातेदारी की अधिकारी थी। चूंकि गोपाल के बाद उनकी विरासत उनके बेटों नरसी हरिनारायण व बदरी को प्राप्त हो चुकी है जिसमें से नरसी भी फौत हो चुका है तथा नरसी के हिस्से की खातेदारी उनके वारिसान को प्राप्त हो गई है। अतः विवादग्रस्त आराजी मुताबिक जमाबंदी 2068-71 खसरा नम्बर 1 रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 3 रकबा 50 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 4 रकबा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 5 रकबा 26 बीघा 18 बिस्वा में प्रतिवादी बदरी पुत्र गोपाल, हरनारायण, ज्ञाना, जगदीश पिता हरनारायण, कल्ली पत्नि हरनारायण, नरसी पुत्र गोपाल के नाम दर्ज हिस्से 1/4

में से हिस्सा 1/2 की मृतक भौरी की वारिश वादीनी कल्याणी को खातेदार घोषित किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

**--: आदेश :-**

उक्त विवेचन एवं तथ्यों के आधार वादीनी का वाद प्रावधित प्रावधानों के सम्यक् पाये जाने एवं तनकी संख्या 1, 2, 3, 4 वादीनी के हक में एवं तनकी संख्या 5 प्रतिवादीगण के पक्ष में साबित हुई है फलस्वरूप विवादित आराजीयात् के संबंध में वादीनी अपने वाद को साबित करने में सफल रही है। अतः वादीनी का वाद स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नम्बर मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2068-71 खसरा नम्बर 1 रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 3 रकबा 50 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 4 रकबा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 5 रकबा 26 बीघा 18 बिस्वा वाकै ग्राम पट्टी चिमनपुरा तहसील लालसोट में प्रतिवादी बदरी पुत्र गोपाल,, ज्ञाना, जगदीश पिता हरिनारायण, कल्ली पत्नि हरिनारायण, नरसी पुत्र गोपाल के नाम दर्ज हिस्से 1/4 में से हिस्सा 1/2 की खातेदार, मृतक भौरी की वारिस वादीनी कल्याणी को उद्-घोषित किया जाता है। तहसीलदार लालसोट को आदेश दिये जाते है कि उक्त भूमि में से गोपाल के हिस्सा 1/4 की भूमि में वादीनी कल्याणी का बतौर खातेदार 1/2 हिस्से में नाम इन्द्राज कर अमल दरामद करे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 28.07.2023 को सरे इजलाज सुनाया गया। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

  
बृजेन्द्र मीना (आरएएस)  
सहायक कलक्टर लालसोट  
लालसोट जिला-दौसा (राज.)